



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur-rj@gov.in वेब-साईट joda.rajasthan.gov.in Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2025/

(राजकाज सं. 10199)

1. श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री सुरजाराम
 2. श्री कल्याण राम पुत्र श्री सुरजाराम
 3. श्री राजूराम पुत्र श्री सुरजाराम
- निवासी:- खारडा रणधीर, जोधपुर।

विषय :- राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 117/4, 117/5, 117/6 रकबा 6470.92 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 117/4, 117/5, 117/6 रकबा 6470.92 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 13/2025 वीं बैठक दिनांक 08.04.2025 में प्रस्तुत किया गया है। विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण में समिति द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्राधिकरण की वेबसाई www.joda.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

(प्रियंका चौपडा)
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid



Digitally signed by Priyanka Chopra
Designation: Assistant Town
Planner
Date: 2025.04.21 11:56:58 IST
Reason: Approved



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

क्रमांक / एफ-49 / 90-क / जोन-01 / 2026 /

दिनांक :- Signed Date

प्रेषित :-

1. श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री सुरजाराम
 2. श्री कल्याण राम पुत्र श्री सुरजाराम
 3. श्री राजूराम पुत्र श्री सुरजाराम
- निवासीगण :- खारडा रणधीर, जोधपुर।

विषय :- रहन रखे गये भूखण्डों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकरण द्वारा आपकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 117/4, 117/5 व 117/6 कुल रकबा 03-19-19 बीघा (6470.92 वर्गमीटर), राजस्व ग्राम खारडा रणधीर का 90-क का आदेश दिनांक 09/12/2024 को जारी किया गया, जिसका ले-आउट प्लान प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 08/04/2025 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उक्त कॉलोनी में आपके द्वारा 12.50 प्रतिशत भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में रहन रखने हेतु एक रहननामा प्रस्तुत किया गया है जो नियमानुसार सही होने के कारण स्वीकृत किया जाकर भूखण्ड संख्या 04, 14, 15, 25 व 32 कुल भूखण्ड 05, कुल क्षेत्रफल 585.69 वर्गगज को रहन रखा जाता है।

उपायुक्त (जोन-01),
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid

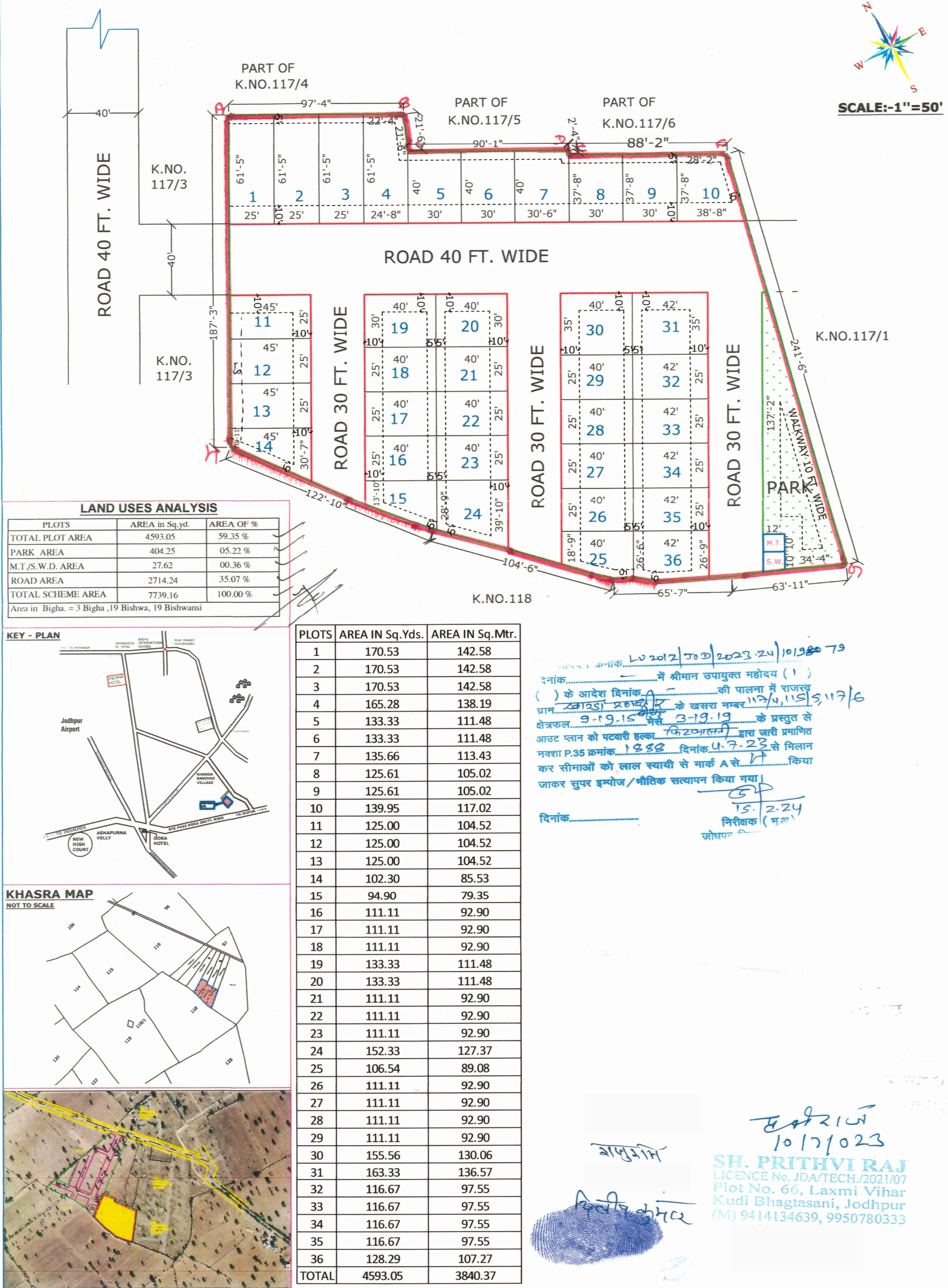
Digitally signed by Praveen Ratnu
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2026.04.20 15:29:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20017632



"SHRI DWARKADHISH PURAM -II"

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO. 117/4,117/5,117/6, (NEW KHASRA NO. 159/117,161/117,163/117) AT VILLAGE KHARDA RANDHEER AT JODHPUR



एजेण्डा संख्या 06 (राजकाज सं. 10199) (बैठक दिनांक 08.04.2025) :-		जोन-01
1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक / दिनांक	323 / 11.12.2024
2.	आवेदक का नाम	1. श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री सुरजाराज 2. श्री कल्याण राम पुत्र श्री सुरजाराज 3. श्री राजुराम पुत्र श्री सुरजाराज
3.	राजस्व ग्राम	खारडा रणवीर
4.	खसरा संख्या	117/4, 117/5, 117/6
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	09-19-19 बीघा में से 03-19-19 बीघा यांनि (6470.92 वर्गमीटर)
6.	प्राप्ति द्वारा वाहा गया उपयोग	आवासीय योजना
7.	<p>निर्णय:-</p> <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none">प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कमिटेन्ट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध सड़क का मार्गाधिकार 12 मीटर रखे जाने की सुनिश्चितता की जाये। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्राप्ति की भूमि में से जोविभा के पक्ष में निशुल्क समर्पित करवायी जाये।टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों को समावेश कर नियमानुसार संशोधन करते हुए ले-आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।आवेदित भूमि के मानचित्र/ले-आउट प्लान पर नियमानुसार सेटबैक का अंकन करते हुए जारी किए जाने की सुनिश्चितता की जाये। अन्य उपयोगों की ओर प्रस्तावित पार्क व खुला क्षेत्र की भूमि में पार्क डिजाईन के तहत 03 मीटर आन्तरिक पार्थ-वे (Walk-way) दर्शाया जाये।राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 व उक्त के क्रम में समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों अनुसार आवश्यक शुल्क एवं नियमों की पालना की सुनिश्चितता जोन/आवेदक द्वारा की जाये।मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जाये।रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रैग्युलैटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उक्त योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। उक्त की सुनिश्चितता एवं प्रस्तावित योजना में जल एवं विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता प्राप्ति स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ-पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जाये।अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि के डिमांडेशन की कार्यवाही होने, सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नहीं होने, पट्टा सिलेख जारी किये जाने से पूर्व मोके पर निर्माण होने की स्थिति में राशि लिए जाने एवं सेटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाये।प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।	

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर विकास प्राधिकरण